

दिनांक 5 सितंबर 2022

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

शहर में निरीक्षण के दौरान मैरिज हॉल संचालक को कचरा फैलाने को लेकर निगमायुक्त ने नोटिस जारी करने के लिए निर्देश

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने आज हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया वहीं उन्होंने कालीबाड़ी चौक से लेकर नंदनी रोड तक का निरीक्षण किया। आयुक्त जब कालीबाड़ी के समीप पहुंचे तो वहां पर नाली में काफी मात्रा में कचरा जमा हुआ मिला , समीपस्थ कुछ लोगों ने बताया कि पास में ही मैरिज हॉल है यहां पर होने वाले विभिन्न आयोजनों के कचरे नाली में यूं ही फेंक दिए जाते हैं , इस पर निगम आयुक्त ने मैरिज हॉल संचालक को कचरा नहीं पसारने को लेकर चेतवानी नोटिस जारी करने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर तथा समझाइश देने के बाद भी नहीं मानने पर और दोबारा गलती करने पर चालानी कार्रवाई भी करें। उल्लेखनीय है कि ऐसे मैरिज हॉल भिलाई निगम में कई सारे हैं शादी के आयोजन होने के बाद बड़ी मात्रा में कचरा यहां से निकलते हैं , जिसे कई दफा आसपास के खाली स्थानों या फिर नाली में डाल दिया जाता है , जिससे गंदगी के साथ ही बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है तथा नाली में जल प्रवाह अवरुद्ध होता है। इन सबको देखते हुए निगमायुक्त ने अपने भ्रमण में कालीबाड़ी के समीप स्थित मैरिज हॉल संचालक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। निगमायुक्त ने गुरुद्वारा चौक का भी निरीक्षण किया और चौक को सुंदर बनाने आकर्षक फूलदार पौधे रोपित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध प्रचार सामग्री एवं बैनर, पोस्टर, पंपलेट लगाने वालों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं , उन्होंने इसके लिए विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और स्वयं कई स्थानों से ऐसे अवैध पोस्टर को निकलवाने की कार्रवाई कराई। निगमायुक्त के निरीक्षण के दौरान जोन स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा आदि मौजूद रहे।

